प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

अंतरण याचिका (दांडिक) क्रमांक 4/2011

आवेदकगण विनय उर्फ अभिषेक व अन्य

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य

आवेदकों की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा अधिवक्ता

प्रतिवादी/राज्य की ओर से श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के अंतर्गत, सत्र परीक्षण क्रमांक 30/2010 को श्री अनिल कुमार गायकवाड़, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), पेंड्रा रोड के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने हेतु आवेदन।

आदेश

(21.06.2011)

यह याचिका आवेदकों द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 30/2010 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम विनय उर्फअभिषेक और अन्य) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) पेंड्रा रोड के न्यायालय से बिलासपुर के किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है। आवेदकों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.1.2011 को एम जे सी क्रमांक 45/2010 में पारित उस आदेश को भी

चुनौती दी है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के अंतर्गत उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई थी।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं पर सत्र परीक्षण क्रमांक 30/2010 में भा.द.वि.की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम चंद्र बजाज का शव 26.3.2010 की शाम को सड़क पर मिला था, जिसकी सूचना मृतक के भाई शंकरलाल बजाज ने टेलीफोन पर संदेश प्राप्त होने के बाद मारवाही पुलिस थाना को दी थी । दूरभाष से सुचना प्राप्त होने के बाद तथा जाँच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आरोपपत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 18 साक्षियों को परीक्षित करने का उल्लेख किया है, जिनमें से सात गवाहों का परीक्षण पहले ही हो चुका है। अभिलेख से पता चलता है कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 22.10.2010 को आवेदकों ने विचारण न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने और गवाहों का परीक्षण स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि वे सत्र न्यायालय में सत्र विचारण की सुनवाई के अंतरण के लिए आवेदन करना चाहते थे। यद्यपि उक्त आवेदन को उसी दिन विचारण न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था और इसके बाद जब आवेदकों के अधिवक्ता ने कोई निर्देश न होने का उल्लेख किया और आरोपियों ने किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए समय माँगा, तो विचारण न्यायालय ने जाँच अधिकारी के साक्ष्य दर्ज किए और आगे उक्त साक्षियों का प्रतिपरीक्षण निरंक दर्ज किया । इसके बाद, दिनांक 8.11.2010 को आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के अंतर्गत प्रकरण को अंतरित करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के

न्यायाधीश से टिप्पणी माँगी, जिन्होंने दिनांक 2.12.2010 को अपनी टिप्पणी दी (अनुलग्नक पी-2)। अंतरण याचिका में आवेदकों द्वारा उठाया गया मुख्य आधार यह है कि जिस तरह से विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया है और प्रकरण में कार्यवाही की है, उससे आवेदकों के मन में यह आशंका पैदा होती है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित हो सकते हैं। आवेदकों के अनुसार, विचारण न्यायालय का न्यायाधीश पक्षपाती है और आवेदकों को दोषी ठहराने पर तुला हुआ है। आवेदकों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर टिप्पणी करते समय, माननीय विचारण न्यायाधीश ने आवेदकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को अमान्य कर दिया है और उनका मानना कि आवेदक ही प्रकरण को समाप्त करने में टालने की रणनीति अपना रहे हैं और वे प्रकरण को पूरा करने में रुचि नहीं रखते हैं। माननीय विचारण न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण न्यायाधीश की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों से प्रश्न पूछने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है और वह मूक दर्शक की तरह कार्य नहीं करेगा।

5. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय गलत निर्णय लिया है और आवेदकों के तर्क को समझने में विफल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत साक्षियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है,

लेकिन उसे लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यह हस्तक्षेप बिना किसी पक्षपात के और साक्षियों को डराने-धमकाने के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अभियोजक की तरह कार्य किया है, इसलिए आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई आशंका वास्तविक और सुस्थापित प्रतीत होती है, और इन परिस्थितियों में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। आवेदकों के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्य से अवगत कराया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि आवेदकों के साथ क्या पूर्वाग्रह हुआ । उनका कहना है कि जब आवेदकों ने दिनांक 2.2.2011 को जमानत याचिका प्रस्तुत की (अतिरिक्त दस्तावेजों का पृष्ठ 18), उसी दिन बहस सुनी गई, लेकिन विचारण न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही याचिका में बताए गए तथ्यों को उस दिन लिखित आदेशिका पर दर्ज किया गया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए विचारण न्यायालय के विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि जब दिनांक 23.2.2011 को स्थगन आदेश पारित किया गया, तो विचारण न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की और जब आवेदकों की ओर से कार्यवाही पर रोक लगाने के आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, तो विचारण न्यायालय ने आरोपी वासुकांत जायसवाल के भाई को उस दिन न्यायलय में उपस्थित साक्षियों का खर्च वहन करने का निर्देश दिया, जो दिनांक 1.3.2011 के आदेश पत्रक (अतिरिक्त दस्तावेजों का पृष्ठ 10) से स्पष्ट है। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय जिस तरह से प्रकरण में कार्यवाही कर रही है, उससे आवेदकों को आशंका है कि उन्हें उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा और यदि प्रकरण को बिलासपुर जिले के किसी अन्य न्यायालय में अंतरित कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा, वे उसका पालन करेंगे।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

8. **सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** (जो **(2007) 3 एससीसी 62 में प्रतिवेदित**) के प्रकरण में दांडिक कार्यवाही के अंतरण की याचिका पर निर्णय लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "5. प्रकरणों के अंतरण से संबंधित विधि सुस्थापित है। इस न्यायालय ने गुरचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में यह माना कि यदि किसी पक्ष को यह युक्तियुक्त आशंका हो कि न्याय नहीं होगा, तो प्रकरण अंतरित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि न्याय अनिवार्य रूप से विफल होगा। यदि वह ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सके कि उसे आशंका है और वह कथित परिस्थितियों में उचित है, तो वह अंतरण का अधिकारी है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि न्याय प्रशासन के सिद्धांतों में से एक यह है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। इस न्यायालय को यह भी देखना होगा कि आशंका उचित है या नहीं। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि आशंका की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए, आशंका रखने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति निस्संदेह सुसंगत है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इस आशंका न केवल माना जाना चाहिये, अपितु न्यायालय को यह आशंका उचित प्रतीत होनी चाहिए।

6. इस न्यायालय ने मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन न्याय प्रदान करने की पहली अनिवार्यता है और अंतरण के लिए आवेदन करते समय न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला केंद्रीय मानदंड किसी पक्ष की अति संवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या विधिक सेवाओं की उपलब्धता या ऐसी ही कोई शिकायत नहीं है। यदि न्यायालय को अंतरण की शक्ति का प्रयोग करना है, तो सार्वजनिक न्याय और उसके परिवेश के दृष्टिकोण से कुछ अधिक ठोस, अधिक बाध्यकारी और अधिक जोखिम भरा होना आवश्यक है। यह मूल सिद्धांत है, भले ही परिस्थितियाँ भिन्न हो और भिन्न प्रकरणों में भिन्नता हो । इस न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अंतरण के आधारों को इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि सामान्यतः शिकायतकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय को चुनने का अधिकार है और आरोपी यह निर्धारित नहीं कर सकता कि उसके विरुद्ध प्रकरण कहाँ चलाया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि फिर भी, न्याय प्रक्रिया पक्षकारों को परेशान करने वाली नहीं होना चाहिए और इस दृष्टिकोण से न्यायालय परिस्थितियों का आँकलन कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अब्दुल नज़र मदानी बनाम तमिलनाडु राज्य के प्रकरण में इस न्यायालय ने माना है कि दांडिक विचारण का उद्देश्य बाहरी विचारों से अप्रभावित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करना है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकरण की निष्पक्षता में जनता का विश्वास गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाएगा, तो कोई भी पक्ष संहिता की धारा 407 के अंतर्गत राज्य के भीतर और धारा 406 के अंतर्गत देश में कहीं भी प्रकरण के अंतरण की माँग कर सकता है। यह आवश्यक है की

निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जाँच या प्रकरण में न्याय के न मिलने की आशंका तर्कसंगत हो, और न कि अनुमानों और अटकलों पर आधारित काल्पनिक नहीं हो । यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी न्यायालय या स्थान पर आपराधिक न्याय का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रदान करना संभव नहीं है, तो उपयुक्त न्यायालय प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित कर सकता है, जहाँ उसे लगता है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई संभव है। अंतरणयाचिका पर निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक या निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसका निर्णय हमेशा प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रकरण में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्षियों सहित पक्षकारो की सुविधा भी अंतरणयाचिका पर निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। पक्षकारो की सुविधा का अर्थ केवल उन याचिकाकर्ताओं की सुविधा नहीं है जो आशंकाओं की गलत धारणाओं के आधार पर न्यायालय में आए हैं। अंतरण के उद्देश्य से सुविधा का अर्थ अभियोजन पक्ष अन्य अभियुक्तों (यदि कोई हो), साक्षियों और समाज के व्यापक हित की सुविधा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जी.एक्स. फ्रांसिस बनाम बांके बिहारी सिंह प्रकरण में इस न्यायालय ने पाया कि जहाँ प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई में जनता का विश्वास गंभीर रूप से कमज़ोर होने की संभावना हो, वहां अंतरणयाचिका स्वीकार की जा सकती है। यह ज्ञात होने पर कि 'उस क्षेत्र में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव की प्रकृति के बारे में दोनों पक्षकारो के साक्ष्य में एकरूपता है', न्यायालय ने पाया कि स्थानीय वातावरण निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं था, जो अंतरण के लिए एक अच्छा आधार था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस आधारहीन आरोप को आमान्य कर दिया कि मध्य प्रदेश राज्य में कोई भी

न्यायालय निष्पक्ष या सही नहीं होगा। प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण को पास के न्यायालय में अंतरित कर दिया गया। निष्पक्ष और सही सुनवाई करने में असमर्थता का कोई प्रमाण न होने पर भी, केवल तनावपूर्ण वातावरण का होना ही प्रकरण को अंतरित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कथित सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण वातावरण पर लगाए गए आरोपों और प्रकरण को अंतरित करने की माँग करने वाले आरोपी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। यह माननाअनुचित होगा कि जब भी सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण वातावरण होने के आरोप लगाए जाते हैं, तो प्रकरण को उस क्षेत्र से अंतरित कर दिया जाना चाहिए जहां ऐसे तनावपूर्ण वातावरण का आरोप लगाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकरण में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सत्र न्यायाधीश ने स्वयं इस प्रकरण की सुनवाई करने में अनिच्छा नहीं जताई है। संभवतः इसका कारण यह है कि उनका मानना है कि उनके भाई का किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति से परिचित होना मात्र उनके निष्पक्ष न्यायिक कार्य को बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन में बाधा नहीं बन सकता। ये न्यायिक प्रणाली की विशेषताएँ हैं। एक न्यायिक अधिकारी, चाहे वह किसी भी पद पर कार्यरत हो, इस विश्वास के साथ कार्य करता है कि उसे केवल इस बात का ध्यान रखना है कि वह अपने विवेक के अनुसार, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय दे। इस अनिवार्यता में कोई अपवाद नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही किसी को भी यह अनुभव करने की संभावना का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि न्यायाधीश पक्षपाती थे, चाहे यह धारणा कितनी भी निराधार क्यों न हो।

"7. न्यायाधीश से अपेक्षित गुणों को सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि- 'वह एक अच्छा व्यक्ति हो तो उसे अच्छा माना जाता हो ।' ऐसे गुण सरलता से प्राप्त नहीं होते। न्यायाधीश में अन्याय को समाप्त करने का साहस और इतिहासकार, दार्शनिक और भविष्यवक्ता के लिए आवश्यक गुण होने चाहिए। डेविड पैनिक की पुस्तक 'जजेस' के कुछ अंश, जिन्हें बहुधा उद्धृत किया जाता है, यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है:

न्यायाधीश पर अत्यधिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनके न्यायालय में आने वाले सभी वादियों के जीवन और आजीविका पर उनका अधिकार होता है... उनके निर्णय उन व्यक्तियों और समूहों के हितों को अच्छी तरह प्रभावित कर सकते हैं जो न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं है। यदि वह सावधान नहीं रहा तो न्यायाधीश गृहयुद्ध को जन्म दे सकते हैं... या वह क्रांति को गति दे सकते हैं... वह अनजाने में देश की राजनीतिक स्थिति में शांतिपूर्ण लेकिन मौलिक परिवर्तन ला सकते हैं।

* * *

आज न्यायाधीशों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा परिकल्पित चुनौतियों और परीक्षणों से भी कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है... संसद ने इस कार्य के दबावों को स्वीकार करते हुए यह प्रावधान किया है कि लॉर्ड चांसलर द्वारा किसी को भी श्रृंखला पीठ में नियुक्ति के लिए महारानी को अनुशंसा करने से पहले, लॉर्ड चांसलर को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य संतोषजनक है... लॉर्ड रोस्किल के उन संस्मरणों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है जिनमें उन्होंने इस कार्य से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव का वर्णन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया है... लॉर्ड रोस्किल ने आगे कहा कि उनके अनुभव में, सप्ताह में सातों दिन, दिन में 14 घंटे... "कार्यभारिता असहनीय है:

"वह [न्यायाधीश] वास्तविकता और भ्रम, लोकतंत्र और विशेषाधिकार, पाखंड और शालीनता के मिश्रण, समझौतों के सूक्ष्म जाल की विचित्रता का प्रतीक है।, जिसके द्वारा राष्ट्र स्वयं को अपने परिचित स्वरूप में बनाए रखता है।" (देखें बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट केसेस , पृष्ठ 6-7, कंडिका 7)।

* * *

9. इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सत्र परीक्षण क्रमांक 30/2010 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायलय) पेंड्रा रोड द्वारा उठाए गए कदम एक न्यायिक अधिकारी के सच्चे विवेक से प्रेरित हैं। फिर भी, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि होता हुआ प्रतीत भी हो। इस प्रकार प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय सत्र परीक्षण क्रमांक 30/2010 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) पेंड्रा रोड के न्यायालय से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को अंतरित करना उचित समझता है, जो या तो स्वयं इसका निर्णय करेंगे या इसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और निर्णय करने के लिए सक्षम किसी अन्य न्यायालय को सौंप देंगे। एक स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है कि सत्र परीक्षण के अंतरण को इस न्यायालय द्वारा संबंधित न्यायाधीश पर लगाए गए किसी भी आरोप के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। जिस न्यायालय के समक्ष परीक्षण चलेगा, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण यथाशीघ्र पूरा हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकरण की कार्यवाही पूरी करने में सभी पक्ष विधिवत सहयोग करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार याचिका स्वीकार की गई।

हस्ताः-

प्रीतिंकर दिवाकर,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By; Mahesh Kumar Sharma